अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हित संरक्षण संबंधित अधिनियम पुस्तिका

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान - निमोरा, रायपुर
पोस्ट बॉक्स नं.-10, प्रधान डाकघर, रायपुर पिनकोड-492001

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के हित संरक्षण संबंधी अधिनियम

आओ जाने और समझे अपना अधिकार

प्रश्न – उत्तर

छ0 ग0 राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रायपुर

सम्पादन व समन्वयः आशुतोष कुमार सिंह

र्मादर्शनः श्री गौतम चौरड़िया

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह

सहयोगः एल के शर्मा

टंकणः महेश कुमार सरादे

ज्योति चन्द्राकर

प्रस्तुतिः

छ.ग.राज्य ग्रामीण विकास संस्थान,
निमोरा पो.बाक्स नंबर 10,
प्रधान डाक घर रायपुर
पिन नंबर 492001
फोन.न. 0771–2473210
फैक्स.न. 0771–2473214

सहयोगः

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा
प्रधिकरण,वेयर हाउस रोड,
बिलासपुर,छ.ग
फोन.न. 0771–2473210

प्रकाशन वर्षः सितम्बर 2008

प्रकाशनः छत्तीसगढ़ संवाद
महिला थाना के पास, छोटापारा,
रायपुर,छ.ग

न्यायमूर्ति एल.सी. भादू
न्यायाधीश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
एवं
कार्यपालक अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

बंगला नं. बी. 23, वेयर हाऊस रोड
बिलासपुर (छ.ग.) 495 001
दूरभाष : (07752) 410520, 406600 (का.)
417786, 238400 (नि.)

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के हित संरक्षण संबंधित अधिनियमों की पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है । ग्राम पंचायत स्तर तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के लिये बनाये गये प्रावधानों की जानकारी पहुंचाकर विधिक साक्षरता और सशक्तिकरण का प्रयासकिया जा रहा है, जो निश्चय ही सराहनीय है ।

इस पुस्तिका में विधिक सेवा योजना को भी सम्मिलित किया गया है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिससे न्याय पाने के लिए आर्थिक या अन्य निर्योग्यता बाधक नहीं है, न्याय सब के लिए सुलभ है और विधिक सेवा विधिक परामर्श, विधिक सहायता कैसे और कहां प्राप्त की जा सकती है यह जानकारी भी सरलता से प्राप्त हो सकेगी ।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है । जनसंख्या का कुल 31.76 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 11.61 प्रतिशत अनुसूचित जाति है, और इस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या को देखते हुए इस वर्ग के उत्थान के लिये पूरी संवेदनशीलता के साथ सशक्तिकरण के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान सामूहिक रूप से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विधिक सेवा और ग्राम उत्थान के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वह एक सतत् प्रक्रिया है ये दोनों संस्थान अधिक गतिशील, संवेदनशील एवं कर्तव्यबोध की ऊर्जा से भावित होकर कार्य होकर कार्य करेंगे और अपने उद्देश्य में सफल होंगे यही विश्वास है ।

शुभकामनाओं सहित...

(एल.सी. भादू)

अनुक्रमणिका

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हित संरक्षण संबंधी अधिनियम

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम,1989 1

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)नियम,1995 7

3. राहत नियम, 1979 10

4. आकस्मिकता योजना, 1995 14

5. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 19

6. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 22

7. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 25

8. नागरिक अधिकार संरक्षण नियम,1977 (समान नागरिकता/छुआछूत विरोधी कानून) 29

9. भू–राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश,2001 31

a. भूमि अर्जन कानून

b. अनुसूचित जाति और जनजाति के जमीनी हक के कानून

10. पंचायत राज अधिनियम 1993 33

11 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाएं 38

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

प्रश्नः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम क्या हैं ?

उत्तरः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के निवारण के लिए ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विषेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने एवं पुनर्वास से संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 बनाया गया।

प्रश्नः अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत किस तरह के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान है ?

उत्तरः अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत निम्न तरह के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया हैः–

1.अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना।

2.अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल–मूत्र, कूड़ा, पषुषव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ एकत्रित करके क्षति या अपमानित करना।

3.बलपूर्वक कपड़े उतारने, उसके चेहरे या षरीर को पोतकर घुमाना या इस प्रकार कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हो।

4.भूमि को संदोष अधिभोग या खेती करने या उसकी आवंटित भूमि से निकलना।

5.अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को बलपूर्वक मजदूरी करने के लिए मजबूर करना।

6.अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को मताधिकार से बेदखल करना।

7.किसी स्रोत, जलाषय या किसी अन्य उद्गम के जल को प्रयोग करने पर रोकना या दुषित करने के सम्बन्ध में ।

8.अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान, मार्ग के उपयोग करने पर प्रतिबंधित करना।

9.अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को उसके मकान, गांव या अन्य किसी निवास स्थल छोड़ने के लिए विवश करना।

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत सम्बन्धित जाति या गैरजाति के व्यक्ति द्वारा अपराध किये जाने पर दण्ड का पात्र होगा।

विषेष प्रावधान :–

1. कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए।
2. (पूर्व कार्य) दोषसिद्धि के लिए वर्धित दण्ड।
3. सम्बन्धित व्यक्ति की संपत्ति का समपहरण।

प्रश्नः अधिनियम के अन्तर्गत कृत्य अपराध के लिए दण्ड का क्या प्रावधान है?

उत्तरः सम्बन्धित जाति/उपजाति के व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर कठोर कारावास और आर्थिक दण्ड का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है तथा साथ ही साथ अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निष्कासन का भी प्रावधान किया गया है।

प्रश्नः प्रभावित व्यक्तियों के प्रकरणों के शीघ्र निवारण हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ?

उत्तरः अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्ति के प्रकरणो को शीघ्र सहायता पहुॅचाने के उद्देय से धारा 14 में विशेष न्यायालय बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार प्रत्येक विषेष न्यायालय के लिए, अधिवक्ता की नियुक्ति करेगी जो कम से कम सात साल तक अधिवक्ता के रुप में विधि व्यवसाय किया हो, विषेष न्यायालय में, मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विषेष लोक अभियोजक के रुप में नियुक्त कर सकती है।

प्रश्नः अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार भी दण्ड दे सकती है ?

उत्तरः राज्य सरकार को अधिनियम (सिविल अधिकार संरक्षण 1955) की धारा 10 क के उपबंध, जहॉ तक हो सके सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूली से संबंधित प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों पर दण्ड देने का अधिकारी होगा।

प्रश्नः विधि और व्यवस्था तन्त्र द्वारा निवारक कार्यविधि की क्या व्यवस्था की गयी है?

उत्तरः (1.) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालन मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, घटना की जानकारी प्राप्त होने पर और घटना की जॉच करने के पष्चात आवष्यक समझने की दषा में सम्बन्धित अपराधी जो गैर जाति का है धारा 10 क के अन्तर्गत निवास स्थल से निष्कासित करने के साथ ही साथ उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और भॉति व्यवस्था बनाने के लिए आवष्यक कार्यवाही कर सकता है।

प्रश्नः अधिनियम के अधीन नियम बनाने की षक्ति का अधिकार किसको है ?

उत्तरः केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

प्रश्नः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरूद अत्याचारो के अंतर्गत क्या क्या शामिल हैं ?

उत्तरः अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया हैः–

1. घृणाजनक पदार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करना।
2. मल–मूत्र, कूड़ा, पषु षव या कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करके क्षति पहॅुचाना।
3. बलपूर्वक कपड़े उतारना या उसे नंगा कर रग से उसके चेहरे या षरीर को पोत कर घुमाना।
4. भूमि को सदोष अधिभोग करना ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995

प्रश्नः नियम में आश्रित, परिलक्षित क्षेत्र की क्या परिभाषा दी गयी है ?

उत्तरः—आश्रितः—पत्नी, बालक चाहे विवाहित या अविवाहित, आश्रित माता—पिता, विधवा बहन तथा अत्याचार से पीड़ित पूर्व मृत पुत्र की विधवा और बालक सम्मिलित हैं।

परिलक्षित क्षेत्रः—एक क्षेत्र जहॉ राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण हो जहां अत्याचार हो सकता हैं परिलक्षित क्षेत्र कहलायेगा।

प्रश्नः—अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की तुलना में संबंधित नियम में क्या विशेष उपाय किया गया है ?

उत्तरः—नियम के अधिन निवारण के निम्न उपाय किये गये हैंः—

(1) परिलक्षित क्षेत्रों को स्पष्ट करना

(2) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक द्वारा परिलक्षित क्षेत्र का स्थिति को देखना

(3) सभी अवैध हथियारो का जप्त करना या प्रतिषेध।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सुरक्षा के दृष्टि से हथियार विशेष परिस्थिति में प्रदान करना।

(5) राज्य स्तरीय, जिला या प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करना।

(6) नियम के उपब्ध्ं का क्रियान्वयन करने के लिए एक सतर्कता एवं मानीटरी समितियों की स्थापना करना।

(7) जागरूकता केन्दो की स्थापना करना

(8) परिलाक्षित क्षेत्रों में विशेष पुलिस व्यवस्था

प्रश्नः नियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा आकस्मिक योजना बनाने का क्या प्रावधान है ?

उत्तरः—राज्य सरकार द्वारा निम्न आकस्मिक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाऐगा औ उसे राज पत्र में अधिसूचित करेगी।

(**1**) नगद या वस्तु के रूप में तत्काल राहत पहुॅचाना

(2) कृषि भूमि या गृह स्थलों का आवटंन,

(3) पुनर्वास पैकेज

(4) प्रभावितों केा सरकारी उपक्रमों में नौकरी के लिए प्रावधान करना।

(5) पीड़ितों का आज्ञापरक।

(6) पीड़ितों की आर्थिक/सामाजिक हालत सुधाने के लिए प्रावधान,

(7) स्वास्थ्य एवं आवश्यक वस्तुओं की अपूर्ति,पेयजल,विधुतिकरण की व्यवस्था करना।

प्रश्नः राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति में कौन सदस्य होगा?

उत्तरः–राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति में अधिक से अधिक 25 सदस्यों की समिति गठित कि जायेगी।

(1) मुख्य मंत्री प्रशासक अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधिन राज्य के राज्यपाल)

(2) गृह मंत्री, वित एवं कल्याण मंत्री सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधिन सलाहकार)

(3) अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के चुने सदस्य

(4) मुख्य सचिव, गृह सचिव पुलिस महानिदेशक,निदेशक/उप निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव–'संयोजक

उच्च शक्ति प्राप्त सर्तकता एवं मानीटरी समिति का बैठक वर्ष में जुलाई और जनवरी माह में दो बार होगी।

जिला स्तरीय सतर्कता/मानीटरी समितिः–

जिला के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट नियम के विभिन्न उपबन्धों के क्रियान्वयन राहत व पुनर्वास व्यवस्था के साथ अन्य मामलों के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करेगा।

जिला स्तरीय समिति में सासंद राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य, पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित राज्य सरकार के तीन समूह (क) अधिकारी, अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिक से अधिक 5 गैर सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विभिन्न प्रवर्ग के ऐसे 3 सदस्यों होगें जो गैर सरकारी संगठन से सम्बन्ध हो।

जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य सचिव होगे।

जिला स्तरीय समिति की तीन माह मे कम से कम एक बैठक होगी।

प्रश्नः नियम के अधिन राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति के कार्य किया जाना आपेक्षित है ?

उत्तरः–उच्च शक्ति प्राप्त राज्य एवं जिला सतर्कता और मानीटरी समिति का कार्य उपबन्धो के क्रियान्वन पीडित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास सुविधा तथा उससे सम्बंद्ध अन्य मामला जो अधिनियम के अधिन आता है, देखरेख करना एवं सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी अभिकरणों पर नजर रखना।

प्रश्नः– अत्याचार निवारण हेतु कब और कहॉ आवेदन करें ?

उत्तरः–अत्याचार निवारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन कर सकते है। लेकिन सबसे पहले इसकी सूचना सम्बधित थाने पर ही देना चाहिए।

प्रश्नः–आवेदन कैसे करें ?

उत्तरः– आवेदन सादा कागज मे स्वहस्त लिखित होना चाहिए।

प्रश्नः–कौन सहायता देता है ?

उत्तरः–प्रभावित व्यक्ति को जिला सतर्कता समिति या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सहायता पहुँचाने का प्रावधान है।

प्रश्नः–प्रभावी व्यक्ति कितनी न्यूनतम अवधि में राहत राशि प्राप्त कर सकता है ?

उत्तरः–प्रभावी व्यक्ति को न्यूनतम 30 दिवस के भीतर राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान अधिनियम के अधिन है। प्रभावितों की संख्या ज्यादा होने की दशा में राहत की अवधि बढ़ सकती हैं।

प्रश्नः–अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिये किससे संपर्क किया जाए ?

उत्तरः–अतिरिक्त कानून सालाह हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क किया जा सकता है। या जिला मजिस्ट्रेट से भी इस सम्बंध मे सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम 1979

प्रश्नः अनुसूचित जाति/जनजाति राहत नियम 1979 के उदे्श्य क्या है ?

उत्तरः नियम का उदे्श्य ऐस जरूरतमंद आदिवासी परिवारो को राहत पहुँचाना हैं जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकटमय स्थिति में है तथा जिन्हे किसी अन्य योजना द्वारा तत्काल सहायता न मिल सकें।

प्रश्नः नियम के अन्तर्गत हरिजन आदिवासी उत्पीडन, राहत की क्या परिभाषा दी गयी है ?

उत्तरः–

(1) हरिजन आदिवासी उत्पीडन से अभिप्रय सर्वण वर्ग के किसी व्यक्ति/समूह द्वारा हरिजन आदीवासी व्यक्ति/परिवार को शारीरिक या सम्पत्तिक या दोनो प्रकार की हानि पहॅुचाने की घटना से है, जो पुलिस थाने मे दर्ज हो।आदिवासी द्वारा अदिवासी हरिजन को हानि पहॅुचाना उत्पीड़त नही माना जाऐगा।

(2) राहत से आशय नियम के अधिन प्राधिकारी द्वारा जरूरतमंद आदिवासी हरिजन व्यक्ति/परिवार के लिए स्वीकृत नगद आर्थिक सहायता से हैं यह किसी प्रकार की क्षतिपूति नही मानी जायेगी।

प्रश्नः नियम के अधीन पात्रता की क्या शर्ते है ?

उत्तरः–योजनान्तर्गत हरिजन समुदाय के निमांकित सदस्यों/परिवारो को राहत प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

(1) सवर्ण वर्ग द्वारा उत्पीडन के कारण शारीरिक/सम्पत्तिक या दोनो प्रकार की हानि उठाने वाले हरिजन आदीवासी परिवार।

(2) विवाह योग्य अनाथ हरिजन कन्या के विवाह के लिए

(3) आर्थिक रूप में कमजोर वृद्ध, अपाहिज अंधे जो जीविकोपार्जन मे असमर्थ हैं।

(4) खेतीहर मजदूर या छोटा व्यवसाय करता था लेकिन दुर्घटना या देवी प्रकोप के कारण काम करने मे असमर्थ हो और उसके पास आजीविका का दुसरा कोई साधन न हो,

(5) एक ही परिवार के दो व्यक्ति पात्र नही होगें

(6) परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी हो और परिवार का तत्काल भरण पाषण न हो पा रहा हैं।

प्रश्नः आवदेन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या हैं ?

उत्तरः—जरूदत मंद आदीवासी व्यक्ति द्वारा स्व लिखित कागज पर विकासखण्ड कार्यालय अथवा कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र मे पुरा नाम पता जाति के साथ ही राहत के कारणो का उल्लेख करेगा। सम्बन्धित के आवेदन पर ग्राम पंचायत सरपंच, जनपद अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ग्राम सेवक, क्षेत्रीय विधायक, सांसद किसी एक के द्वारा प्रमाणित कि होना चाहिए की प्रार्थी आदीवासी हरिजन है और इसे राहत की आवश्यक है।

प्रश्नः आवेदन पत्र का परिक्षण किसके द्वारा किया जाता हैं ?

उत्तरः—विकास खण्ड स्तर पर परिक्षण विकास खण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिन प्रकरणो पर कलेक्टर द्वारा राहत स्वीकृत की जाती हैं उसमें विकास खण्ड अधिकारी की अनुशंसा के साथ जिला संयोजक को प्रेषित करेगा जो बाद में कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

उत्पीडन बलात्कार संबंधी प्रकरणो का सम्यक परिक्षण एवं राहत की राशि अनुशंसा निम्नांकित समिति करेगीः—

(1) जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर)

(2) पुलिस अधिक्षक

(3) जिला संयोजक (आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण)

प्रश्नः क्या नियम के अन्तर्गत प्रकरणो का श्रेणी किया गया हैं ?

उत्तरः—नियम के अन्तर्गत प्रकरणो की निम्नांकित तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है

(1) प्रथम श्रेणी के प्रकरण

शारीरिक हानि

बलात्कार	50,000	50,000
(अपराध) हत्या	**2,00,000**	**(न कमाने वाले)**
हत्या	2,00,000 **(कमाने वाले व्यक्ति)**	1,00,000 **अधिकतम राशि**
	अधिकतम राशि	
बलात्कार के कारण मृत्यु	1,00,000	100000
अस्थायी शारीरिक अक्षमता	2,00,000	100000
गंभीर आधात के कारण शारीरिक अक्षमता	30,000	15,000
गंभीर आधात जिससे अक्षमता न हुई हो।	30,000	15,000

सम्पत्ति हानि

1. मकान जला दिये जाने पर मकान बनाकर दिये जाने का प्रावधान।
2. ऐसे चल सम्पत्ति का नुकसान जो अजीविका का आधार हो। तत्कालिक सहायता के तौर पर रु. 500 एवं सम्पत्ति जुटाने हेतु रु. 2000 की सहायता का प्रावधान।
3. कुँआ, फलदार वृक्ष या अन्य आर्थिक संसाधन का नष्ट होने पर रु. 2000 (अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित) का प्रावधान।

द्वितीय श्रेणी

आदिवासी, हरिजन कन्याओं के विवाह के लिये सहायता के प्रकरण सम्मिलित होगें।

1. ऐसे साधनहिन कन्याओं जिसके मॉ, बाप न हो जिसका पालन पोषण किसी रिश्तेदार द्वारा किया जा रहा हो, विवाह के लिये रु. 2000 देय होगें।

2. ऐसी कन्या जिसके परिवार की औसत मासिक आय रु. 200 या गरीबी रेखा से नीचे हो रु. 1000 की सहायता राशि दी जायेगी।

तृतीय श्रेणी

1. इस श्रेणी के अंतर्गत अपाहित निराश्रित, वृद्व, अंधे तथा अतिसंकट ग्रस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक प्रकरण को सहायता राशि दी जायेगी जिसका निर्धारण सक्षम अधिकारी अपने अधिकार सीमा के अंदर करेगें।

प्रश्नः क्या किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दो बार राहत दिया जा सकता है ?

उत्तरः—केवल निराश्रित, अंधे, अपाहित तथा बीमार हरिजन आदिवासी जनों को विशेष परिस्थिति में अपवाद रुप में एकाधिक बार राहत स्वीकृत करने का अधिकार विकासखंड अधिकारी को रु. 30 अधिकतम सीमा तक तथा कलेक्टर को रु. 200 अधिकतम सीमा तक है।

प्रश्नः नियम से संबंधित विषयों की अधिक जानकारी के लिये किससे संपर्क किया जा सकता है ?

उत्तर विकासखंड स्तर पर विकासखंड अधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर से संपर्क किया जा सकता है।

आकस्मिक योजना नियम 1995

प्रश्नः आकस्मिक योजना नियम 1995 के उद्‌देश्य क्या है ?

उत्तरः—नियम का उद्‌देश्य जरुरतमंद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं परिवार को तुरन्त सहायता पहुँचाना है, जो गैर जाति के किसी व्यक्ति समूह द्वारा उत्पीडित है एवं जो अपनी निर्धरता एवं असहाय अवस्था के कारण संकट की स्थिति में है, और जिन्हें तत्व संबंधित जरुरत पूरी करने के लिये शासन की योजना या अन्य श्रोत से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना न हो।

प्रश्नः नियम के अधीन पात्रता की क्या शर्ते है ?

उत्तर नियम से संबंधित योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के निम्नांकित सदस्यों परिवारों को इस नियम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

1. गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति द्वारा उत्पीडन के कारण शारीरिक या संपत्तिक या दोनों प्रकार की आर्थिक हानि उठाये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या परिवार को।

2. यदि बलात्कार के परिणाम स्वरुप महिला की मृत्यु होने की दशा में पति, पुत्र या उत्तराधिकारी को।

3. गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा आय के श्रोतों को नष्ट करने की दशा में संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पात्रता होगी।

प्रश्नः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्व अत्याचार की सूचना किसकों देनी चाहिए ?

उत्तरः—सर्वप्रथम संबंधित थाने में इसकी सूचना देनी चाहियें। तत्पश्चात थाना प्रभारी द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी को भेजने के साथ ही साथ एक प्रति जिलाधिकारी, सहायक आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को भेजनी चाहिये।

प्रश्नः नियम के अंतर्गत राहत एवं सहायता का क्या प्रावधान है ?

उत्तर :—जिला दण्डाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार या आश्रित को निम्नानुसार राहत दिया जायेगा।

क्र	अपराध	राहत राशि
1	अखाद्य या धृणात्मक पदार्थ खाना या पिलाना	प्रत्येक पीडित को रु 25,000 तक राहत राशि का प्रावधान
2	क्षति, अपमानित या क्षुब्ध करना, अनादर सूचक कार्य	25 प्रतिशत राशि आरोप पत्र न्यायालय में भेजने पर एवं 75 प्रतिशत राशि निचले अदालत द्वारा दोष सिद्व ठहराने पर दिया जायेगा।
3	सदोष भूमि अधिभोग में लेना या कृषि करना	25 प्रतिशत राशि आरोप पत्र न्यायालय में भेजने पर एवं 75 प्रतिशत राशि निचले अदालत द्वारा दोष सिद्व ठहराने पर दिया जायेगा।
4	बेगार या बंधुआ मजदूरी	प्रत्येक पीडित व्यक्ति का कम से कम रु. 25,000 प्रथम सूचना देने पर 25 प्रतिशत एवं दोष सिद्व होने पर 75 प्रतिशत राशि दी जायेगी।

इस सभी अपराधों के साथ साथ मतदान के अधिकार के संबंध में मिथ्या दोष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही, मिथ्या या तुच्छ जानकारी, अपमान, किसी महिला की लज्जा भंग करना, महिला का लैंगिक शोषण, पानी गंदा करना, मार्ग के रुढ़िजन अधिकार से वंचित करना, निवास स्थान को छोडने के लिये मजबूर करना, किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीडन, नियोग्यता, हत्या, मृत्यु इत्यादि के संबंध में प्रावधान किया गया है।

प्रश्नः नियम के अंतर्गत और किस प्रकार की राहत की व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर नियमातंर्गत मुख्य बिन्दु के संबंध में राहत का प्रावधान किया गया है।

1. अत्याचार पीडित व्यक्ति, उसके आश्रित तथा साथीयों को यात्रा भत्ता, भरण पोषण और परिवहन की सुविधा की व्यवस्था।
2. भरण पोषण के व्यय की व्यवस्था।
3. पीडित व्यक्ति को तत्काल आहार व्यय की व्यवस्था।
4. चिकित्सा सुविधा जिसमें औषधि परामर्श, खुन की व्यवस्था, वस्त्र, भोजन एवं आवास सुविधा की व्यवस्था।

प्रश्नः अत्याचार पीडित व्यक्ति को नियम के अधीन पुर्नवास की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर पीडित व्यक्ति, परिवार, आश्रितों, मृतकों के आश्रितों को पुर्नवास हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

1. मासिक निर्वाह भत्त :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मृतक उसकी विधवा या एक आश्रित को रु. 1000 प्रतिमाह की दर से छः माह तक निर्वाह भत्ता दिया जायेगा। विधवा आश्रित को नौकरी सुविधा या व्यवसाय उपलब्ध कराने की तिथि से निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जायेगा।
2. फसल नष्ट कर दी गयी है तो अगली फसल आने तक या अधिकतम छः माह तक रु. 1000 निर्वाह भत्ते के रुप में पीडित परिवार को दिया जायेगा।
3. मकान जला दिया जाने की दशा में 3 माह की अवधि तक खाद्य सामग्री कलेक्टर दर पर खाद्य पदार्थ 15 किलो प्रति व्यक्ति दिया जायेगा, साथ ही बर्तन की भी व्यवस्था की जायेगी।
4. कमाने वाले व्यक्ति का उत्पीडन के कारण शत प्रतिशत अस्थाई शारीरिक, अक्षमता होने की दशा में सहायता परिवार को दी जायेगी।

प्रश्नः नियम में और क्या –क्या विशेष प्रावधान किया गया है ?

उत्तर नियम में पीडित व्यक्ति को रोजगार (मृतक की विधवा आश्रित को) 3 माह के भीतर रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि का आबंटन, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 18 माह से कम उम्र के बच्चों के लिये छात्रावास में प्रवेश, 12 माह की अवधि के लिये छात्रवृत्ति जो प्राथमिक स्तर पर रु. 500, माध्यमिक स्तर पर रु. 700 व हायर सेकेण्डरी स्तर पर रु. 1000 होगी, साथ ही साथ कपड़े जुता पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं, स्टेशनरी आदि के लिये सहायता दी जायेगी। इन सभी के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर एवं विकलांग को कृत्रिम अंग हेतु सहायता दी जायेगी।

प्रश्नः नियम में सामाजिक पुर्नवासी क्या व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर

1. यदि कोई व्यक्ति बलात्कार पीडित अविवाहित महिला से शादी करता है तो शादी व्यय हेतु अधिकतम रु. 5000 तथा व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु रु. 70,000 सहायता व बैंक ऋृण की व्यवस्था की जायेगी।
2. मृतक की पत्नि शादी करती है तो शादी का व्यय अधिकतम रु. 5000 दिया जायेगा।
3. यदि माता–पिता दोनों की हत्या हो जाती है तो पुत्री के विवाह के लिये रु. 10,000 प्रत्येक पुत्री के लिये दिया जायेगा। केवल पिता की हत्या होने पर राशि रु. 5000 होगी।

प्रश्नः नियम में प्रचार–प्रसार की क्या व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर उत्पीडन को रोकने के लिये अधिनियम में जागरुकता हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है :–

1. जागृति केन्द्रों ंकी स्थापना।
2. जनजागरण शिविरों का आयोजन।
3. अशासकीय संस्थाओं की भागीदारी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करना।
4. शैक्षिक संस्थाओं एवं शैक्षिक स्तर पर इसका प्रबंधन।
5. संयुक्त खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता।
6. अन्य साधनों से प्रचार प्रसार।
7. विचार गोष्ठियों का संचालन।
8. परिलक्षित क्षेत्रों के विकास की व्यवस्था।

प्रश्नः उत्पीडन राहत व अन्य सुविधाओं की स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है ?

उत्तर राहत की स्वीकृति हेतु त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

1.	कलेक्टर या जिलादण्डाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	–	सचिव
3.	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण,	–	सदस्य सचिव

समिति की अनुशंसा पर रु. 25,000 से अधिक की राहत राशि की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। यात्रा भत्ता, परिवहन, भरण पोषण, आहार भत्ता,चिकित्सा सुंविधा व मासिक निर्वाह भत्ता, शिक्षा व सामाजिक पुर्नवास व्यवस्था जिला विभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर दर पर की जायेगी।

प्रश्नः नियम में सर्तकता, सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति के कौन सदस्य होते है व इनका क्या कार्य होता है ?

उत्तरः—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निर्वारण नियम 1995 के नियम 16, 17 के अंतर्गत गठित राज्य व जिला स्तरीय समिति नियम के प्रावधानों का कियान्वयन अनुसरण करते हुये समय—समय पर सलाह देगी। प्रत्येक माह में शासन व विशेष प्रकोष्ठ के कार्य का विवरण उपलब्ध करायेगी।

समिति के निम्न सदस्य होगेः—

1.	संभागीय आयुक्त	—	अध्यक्ष
2.	उपपुलिस महानिरीक्षक	—	सदस्य
3	.कलेक्टर (संभाग)	—	सदस्य
4.	पुलिस अधीक्षक (संभाग)	—	सदस्य
5.	उपसंचालक, लोक अभियोजन	—	सदस्य
6.	संभागीय उपायुक्त (आदिवासी विभाग)	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995

प्रश्नः अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 क्या है ?

उत्तरः राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जायेगा जो अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का पालन करेगी।

प्रश्नः अनुसूचित जनजाति आयोग में कौन कौन कितने सदस्य होंगे ?

उत्तरः

1. आयोग में तीन अषासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की विषेषज्ञता रखते हों। इनमें से एक अध्यक्ष होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा,श्षेष दोनों सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे।
2 आयुक्त जनजाति विकास छत्तीसगढ़।

प्रश्नः अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है ?

उत्तरः आयोग के निम्न कर्तव्य होंगे :—

1. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा संबंधित अन्य किसी विधि के अधीन दिये गए संरक्षण के लिए संरक्षक आयोग के रुप में कार्य करेगा।
2. अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।
3. जनजाति समुदाय या ऐसी विषिष्ट जनजाति समुदायों के भाग या उनसे संबंधित तथ्यों को संविधान (अनुसूचित जनजाति आदेष 1950) में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने की सिफ़ारिष करना।

प्रश्नः अधिनियम के अंतर्गत आयोग को क्या शक्ति प्रदान की गयी है?

उत्तरः आयोग को धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन कर्तव्यों के साथ ही साथ सिविल न्यायालय की सभी षक्तियॉ होंगीः—

1. राज्य के किसी भाग मे, किसी व्यक्ति को सम्मन करना,हाज़िर करना तथा षपथ पर उसका परीक्षण करना।
2. किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
3. षपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या प्रतिलिपि की मॉग करना।
5. सत्यों एवं दस्तावेज़ों की परीक्षा कर कमियों को स्पष्ट करना।

प्रश्नः आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षो का होगा?

उत्तरः आयोग के प्रत्येक अषासकीय सदस्य, जिस तारीख़ से अपना पद ग्रहण करते हैं तीन वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेंगे।

प्रश्नः आयोग गठन करने की षक्ति किसको है?

उत्तरः आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है जो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा।

प्रश्नः आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा षर्तें क्या हैं?

उत्तरः– आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा षर्तें अधिनियम के अन्तर्गत निम्न होगीः–

1. कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता हैः–
   - **क.** किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अक्षमता परिलक्षित है और कारावास के रुप में दण्डित किया गया हो।
   - **ख.** दिवालिया होने कि दषा में।
   - **ग.** विकृतचित्त होने की स्थिति में जिसकी घोषणा न्यायालय द्वारा किया गया हो।
   - **घ.** कार्य न करने की स्थिति में।
   - **ङ.** आयोग से अनुपस्थित रहने एवं इसकी लिखित सूचना न दिए बिना आयोग की लगातार तीन सम्मेलनों में अनुपस्थित रहने पर।
   - **च.** राज्य सरकार के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की हैसीयत का ऐसा दुरुपयोग करना

जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहने से अनुसूचित जनजाति के हितों या लोकहित के लिए हानिकारक हो। परन्तु किसी व्यक्ति को तब तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे उस मामले की सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

2. उपधारा 2 के अधीन रिक्त पद को नया नाम निर्देशन करके भरा जाएगा। इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के षेष अवधी तक पद धारण करेगा ।
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के देयक वेतन, भत्ते और सेवा सम्बन्धित निबंधन तथा श्त्ते अधिनियम के विहित होग।

प्रश्नः आयोग को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान दिया जाता है?

उत्तरः राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा निर्धारित किये गए नियमों के अनुसार आयोग को अनुदान के रुप में ऐसी धनराषि की व्यवस्था करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के उपयोग के लिये उचित समझे।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995

प्रश्नः अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 क्या है ?

उत्तरः राज्य सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जायेगा जो अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का पालन करेगी।

प्रश्नः अनुसूचित जाति आयोग में कौन कौन कितने सदस्य होंगे ?

उत्तरः

1. आयोग में तीन अषासकीय सदस्य जो अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों की विषेषज्ञता रखते हों। इनमें से एक अध्यक्ष होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा,श्षेष दोनों सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे।
2. आयुक्त जाति विकास छत्तीसगढ़।

प्रश्नः अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है ?

उत्तरः आयोग के निम्न कर्तव्य होंगे :–

1. अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा संबंधित अन्य किसी विधि के अधीन दिये गए संरक्षण के लिए संरक्षक आयोग के रुप में कार्य करेगा।
2. अनुसूचित जाति से संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।
3. अनुसूचित जाति समुदाय या ऐसी विषिष्ट अनुसूचित जाति समुदायों के भाग या उनसे संबंधित तथ्यों को संविधान (अनुसूचित जनजाति आदेष 1950) में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने की सिफ़ारिष करना।

प्रश्नः अधिनियम के अंतर्गत आयोग को क्या शक्ति प्रदान की गयी है?

उत्तरः आयोग को धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन कर्तव्यों के साथ ही साथ सिविल न्यायालय की सभी षक्तियॉ होंगीः–

1. राज्य के किसी भाग में, किसी व्यक्ति को सम्मन करना, हाज़िर करना तथा षपथ पर उसका परीक्षण करना।
2. किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।
3. षपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या प्रतिलिपि की मॉग करना।
5. सत्यों एवं दस्तावेज़ों की परीक्षा कर कमियों को स्पष्ट करना।

प्रश्नः आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षो का होगा?

उत्तरः आयोग के प्रत्येक अषासकीय सदस्य, जिस तारीख़ से अपना पद ग्रहण करते हैं तीन वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेंगे।

प्रश्नः आयोग गठन करने की षक्ति किसको है?

उत्तरः आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है जो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा।

प्रश्नः आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा षर्तें क्या हैं?

उत्तरः—आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा षर्तें अधिनियम के अन्तर्गत निम्न होगीः— कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता हैः—

क. किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अक्षमता परिलक्षित है और कारावास के रुप में दण्डित किया गया हो।

ख. दिवालिया होने कि दषा में।

ग. विकृतचित्त होने की स्थिति में जिसकी घोषणा न्यायालय द्वारा किया गया हो।

घ. कार्य न करने की स्थिति में।

ड. आयोग से अनुपस्थित रहने एवं इसकी लिखित सूचना न दिए बिना आयोग की लगातार तीन सम्मेलनों में अनुपस्थित रहने पर।

च. राज्य सरकार के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की हैसीयत का ऐसा दुरुपयोग करना जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहने से अनुसूचित जनजाति के हितों या लोकहित के लिए हानिकारक हो। परन्तु किसी व्यक्ति को तब तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे उस मामले की सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

2. उपधारा 2 के अधीन रिक्त पद को नया नाम निर्देशन करके भरा जाएगा। इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के षेष अवधी तक पद धारण करेगा ।
3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के देयक वेतन, भत्ते और सेवा सम्बन्धित निबंधन तथा श्त्ते अधिनियम के विहित होग।

प्रश्नः आयोग को राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान दिया जाता है?

उत्तरः राज्य सरकार, विधान सभा द्वारा निर्धारित निमयों के अनुसार आयोग को अनुदान के रुप में ऐसी धनराषि की व्यवस्था करेगी जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग में उचित समझे।

समान नागरिकता/छुआछूत विरोधी कानून

प्रश्न समान नागरिकता/छुआछूत विरोधी कानून क्या है ?

उत्तर जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सभी लोग जन्म से एक समान अधिकार रखते हैं। कानून ने भी इस तरह की बातों को गलत माना है, साथ ही यह भी कहा है कि किसी को यह हक नहीं है कि वह समाज में इस तरह का विभाजन करे। छुआछूत की प्रथा तथा इसकी वजह से होने वाले भेदभाव पर रोक लगाने के यह कानून बनाया है, जिसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है।

प्रश्न समान नागरिकता/छुआछूत विरोधी कानून की क्या विशेषता है ?

उत्तर यह कानून आपके हितों की रक्षा करता है, साथ ही छुआछूत के आधार पर किसी भी तरह की रोक लगाने तथा भेदभाव करने वालों को सजा दी जाती है।कानून की नजर में सभी लोग एक समान नागरिक हैं। कानून जाति, धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सभी को समान अधिकार कानून ने दिए हैं। छुआछूत किसी भी रूप में हमारे संविधान के हिसाब से गैरकानूनी है। इस प्रथा को चलाने और बढ़ाने तथा मानने वाले को कानून के अनुसार सजा का नियम है।हमारे संविधान के अनुसार हर व्यक्ति एक समान है। किसी भी व्यक्ति से जाति या वर्ग के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव के नाम पर दुकानों, मेलों, सिनेमाघरों, धर्मशालाओं में जाने से रोकना तथा सार्वजनिक बस में चढ़ने से रोकना इत्यादि जैसी बातें कानून अपराध है।

प्रश्न समान नागरिकता/छुआछूत विरोधी कानून के अन्तगर्त हरिजनों और आदिवासियो को अन्य जाति की तरह क्या क्या समानता दी गयी है ?

उत्तर हरिजनों और आदिवासियों को सामान्य जाति जैसे लोगों की तरह कपड़े पहनने, जेवर पहनने, अस्पताल की सेवाएं लेने या स्कूल या कालेज जाने या अपनी पंरपरा के अनुसार शादी ब्याह की रस्म मनाने का अधिकार है। यह अधिकार उनको कानून ने दिए हैं, इनसे उनको कोई नहीं रोक सकता है, यदि कोई ऐसा करने से रोकता है तो वह कानून अपराधी माना जाएगा।

अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो जातिभेद के नाम पर किसी को मंदिर में प्रवेश करने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करना गैरकानूनी है तथा कानून में सजा का नियम भी है। हर जाति के व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह बिना किसी रोक के अपने धर्म का पालन करे। कानून ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप अपना जीवन स्वतंत्रता से बिता सकते हैं।

प्रश्न कानून के अंतर्गत हरिजनों और आदिवासियो को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही की क्या सुविघा दी गयी है ?

उत्तर अपने अधिकारों की रक्षा आप संगठित होकर कर सकते हैं, आपके साथ हुए गलत व्यवहार की आपको मिलकर थाने में शिकायत लिखवाएं और अपराधियों की पूरी जानकारी पुलिस को दें।

1 कानून के अनुसार यदि कोई छुआछूत और जातिभेद को बढ़ावा देता है तो दोषी पाए जाने पर एक माह से लेकर छह माह तक की कैद तथा एक सौ रुपए से लेकर पांच सौ रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।

2 यदि अपराधी बार – बार ऐसा करता है तो उसकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है।

3 संविधान में हमारे देश की कुछ खास जातियों (जिन्हें स्वयं के विकास के लिए कुछ विशेष मदद की आवश्यकता है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं) की सूची तैयार की है, जिनके लिए हमारी शासन व्यवस्था ने कुछ खास सहूलियतें तथा रियायतें दी हैं, ताकि इनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, इन सूचियों में दी गईं जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।

4 यह सूची हमें अपने जिले के सरकारी अफसरों से मिल सकती है। कलेक्टर और (बीडीओ) के पास यह सूची होती है।

5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को समाज के अत्याचारों और शोषण से बचाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 बनाया है।

6 कानून कहता है कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ किसी तरह का दुर्व्यव्यवहार या शोषण किया जाता है, तो पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं। इतना ही नहीं पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा भी मिलेगा।

7 कानून कहता है कि सामाजिक रूप से कमजोर जातियों जिन्हें कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उन लोगों से यदि कोई गलत व्यवहार या भद्दा मजाक करता है तो अपराधी को सजा तथा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा।

8 कानून ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऐसे कार्यों की सूची बनाई हैं जिसमें कहा है कि यदि यह काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से कराए गए तो वह अपराध माना जाएगा।

प्रश्न समान नागरिकता/छुआछूत विरोधी कानून के अंतर्गत क्या–क्या अपराध सम्मिलित है ?

उत्तर कानून के अन्तगर्त निम्न अपराध सम्मिलित है :–

1 उन पर ऐसी चीज खाने या पीने के लिए दबाव बनाना जो कि खाने या पीने के लायक नहीं है।

2 उनके घर में किसी भी तरह की गंदगी डालना, जैसे – गोबर, मरे हुए पशु आदि फेंकना।

3 उनकी जाति का मुद्दा बनाते हुए उनका मजाक उड़ाना या अपमानित करना।

4 उन्हें वोट देने से रोकना तथा किसी व्यक्ति विशेष को वोट के लिए जबरन तैयार करना।

5 उन्हें परंपरा के अनुसार सार्वजनिक रास्तों का इस्तेमाल करने से रोकना।

6 उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना तथा घर से भी बाहर होने के लिए मजबूर करना

7 उन पर झूठे मुकद्में चलाना।

8 किसी सार्वजनिक जगह पर उनको नंगा कर या उनका मुंह व शरीर को रंगकर अपमानित करना।

9 उन्हें धोखे से बेकार काम या बंधुआ बनाकर रखना।

10 उनकी महिलाओं को शारीरिक या मानसिक ढंग से तंग करना।

11 उनके पीने के पानी जैसे कुँए, झरने आदि को गंदा करना।

12 गैर कानूनी ढंग से उनकी जमीन पर कब्जा करना।

ऊपर बताए गए अपराधों में से अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे इन अपराधों में छह माह से लेकर पांच साल तक की सजा व जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।

यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी तरह का अत्याचार या उनका शोषण किया जाता है तो उन्हें तत्काल पुलिस को जाकर बताना चाहिए। जिससे कि अपराधी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हो सके। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के मुकद्मों के लिए सरकार ने विशेष अदालतें बनाई हैं, यह अदालतें आमतौर पर जिला सैशन कोर्ट होती है। सरकार इन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को केस लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देती है। इसके अलावा पीड़ित को आने–जाने का खर्च तथा आर्थिक मुआवजा भी दिया जाता है।

भूमि अर्जन कानून

प्रश्न भूमि अर्जन कानून क्या है?

उत्तर भूमि अर्जन का मतलब भूमि को लेना है। सरकार आपकी जमीन लेने का यह कदम तभी लेती है, जब आपकी जमीन से कई लोगों का हित हो रहा है।यह सरकार का एक कानून है, जो कि आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू है। पर राज्य सरकारें यदि चाहें तो इसमें अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव कर सकती हैं। यह कानून हर तरह की जमीन पर लागू होगा, चाहे खेती हो या घर की जमीन।

प्रश्न कानून में भूमि क्या मतलब है?

उत्तर सरकार के अनुसार भूमि का मतलब मैदान, मिट्टी, जंगल, वन, खेत, झीलें, तालाब, तथा वो सभी तरह की जमीन जो ऊपर और नीचे कहीं भी हों भूमि कहलाएगी।

प्रश्न क्या सरकार द्वारा भूमि लेने हेतु कानून के प्रावधानों का पालन करना होगा।

उत्तर जब भी सरकार को भूमि लेने की जरूरत पड़ती है तो सरकार कभी एकदम आकर कब्जा नहीं कर लेती। भूमि अर्जन के लिए उसको बाकायदा कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।सरकार पहले एक सूचना देती है कि आपके क्षेत्र की जमीन किसी लोक हित के लिए आवश्यक है।

प्रश्न सरकार द्वारा भूमि लेने हेतु किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही का पालन करना करना होगा।

उत्तर इस सूचना के बाद एक दल सरकार की तरफ से आपके घर आएगा, यह जांचने के लिए कि जमीन उपयुक्त या उचित है या नहीं। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित जमीन के लिए दावा करे तो वह हितबद्ध व्यक्ति माना जाएगा। चाहे उसका दावा माना जाए या न माना जाए। हितबद्ध व्यक्ति इस निर्णय से नाखुश होते हैं वे कलेक्टर को लिखित में अपनी आपत्ति दे सकते हैं। कलेक्टर उन आपत्तियों की जांच करते हैं। सरकार भूमि को लेने के इरादे की घोषणा का एक नोटिस छापेगी। उसमें जमीन सरकार ले रही है इसका पूरे कारण के साथ जिक्र होगा।

प्रश्न नोटिस छापने क्या तत्पर्य है ?

उत्तर नोटिस छापने का मतलब है कि जो नोटिस दिया जाएगा वह कम से कम तीन तरह से छापा जाएगा। पहले तो वह सरकारी राजपत्र जिसे गजट कहते हैं उसमें छपेगा। दूसरी बार सरकार दो अखबारों में छपवाएगी। जिसमें कम से कम एक अखबार ग्रामीण भाषा का होगा। तीसरा कलेक्टर द्वारा एक जनसूचना दी जाएगी। उस सूचना को गांव में ऐसी जगह चिपकाया जाएगा, जहां से पूरा गांव उसको एक बार पढ़ ले।

- नोटिस के बाद सरकार गांव में सर्वे दल भेजेगी, और पता करवाएगी कि जो जमीन सरकार ले रही हैं, वह काम की है भी या नहीं।
- कलेक्टर सरकार से भूमि लेने का आदेश लेते हैं। जिन लोगों की जमीन भूमि लेने के आदेश में आ रही है उनको कलेक्टर सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से सूचना देते हैं और मुआवजे के लिए दावे दर्ज कराने को कहते हैं।

प्रश्न भूमि लेने एव मुआवजा का अधिनिर्णय किसके द्वारा किया जाता है।

उत्तर कलेक्टर द्वारा इन दावों की जांच की जाती है।कलेक्टर जांच के बाद किसको कितना मुआवजा मिले इसका अधिनिर्णय (अवार्ड) देते हैं। यदि आप अपने मुआवजे या उससे जुड़े किसी और कारण से खुश नहीं हैं, तो नोटिस के तीस दिनों के अंदर ही विरोध दर्ज करा दें वरना कुछ भी नहीं होगा। जब तक तय कीमत की अस्सी फीसदी मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक कलेक्टर भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। यदि आप पैसे लेने से इनकार करते हैं, तो आपकी मुआवजा राशि अदालत में जमा हो जाएगी और जमीन पर कब्जा भी हो जाएगा। आप अपने मुआवजा जो निष्चित किया गया है वह आपको कम लग रहा है तो आप न्याय के लिए अदालत जा सकते हैं। वहां आप की सुनवाई होगी।यदि अदालत ने यह माना कि मुआवजा कम मिला है, तो दुबारा से आप अपनी कीमत कलेक्टर को बताकर लिखित में आवेदन दे सकते हो।

अनुसूचित जाति और जनजाति के जमीनी हक के कानून

प्रश्न अनुसूचित जाति और जनजाति के जमीनी हक कानून क्या है ?

उत्तर सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य की जमीनों को लेकर अलग से कानून बनाया है, क्योंकि सरकार भी यह मानती है कि अनुसूचित जाति या जनजातियों के सदस्य की जमीन उनके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। उस कानून के अनुसार आपकी जमीन पर कोई अन्य जाति का व्यक्ति कब्जा या जबरन खेती नहीं कर सकता।

प्रश्न क्या कोई सामान्य जाति या वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की जमीन बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं खरीद सकता है?

उत्तर कोई सामान्य जाति या वर्ग का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की जमीन बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं खरीद सकता है। जमीन खरीदने से पहले जिला कलेक्टर की अनुमति लेना जरूरी है। कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की जमीन पर अपनी फसल भी नहीं उगा सकता है। यह भी अगर करना है तो जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी है।

प्रश्न यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की जमीन को लेता है तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर यदि कोई सामान्य जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति की जमीन को लेता है तो सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एसडीओ को जाकर बताना चाहिए। यह जानकारी दो साल के अंदर एसडीओ तक जरूर दे देनी चाहिए। यदि दो साल के अंदर तक एसडीओ को सूचना न दी गई तो वह भूमि अपने आप उस अनुसूचित जन जाति या अनूसूचित जाति के वारिस के नाम पर वापस दे दी जाएगी। जिसकी वह मूलतः थी।

प्रश्न यदि अनूसूचित जनजाति की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए ?

उत्तर यदि अनूसूचित जनजाति या अनूसूचित जाति की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो ऐसी स्थिति में उसे भूमि वापस दिलाने के लिए ग्राम पंचायत को पहल करनी होगी। अगर ग्रामपंचायत यह पहल नहीं करती है तो इसे ग्रामसभा में उठाना हमारी जिम्मेदारी है। नये कानून में ग्रामसभा और पंचायत की जिम्मेदारी की बात विशेष रूप से की गई है, जिसमें ग्रामसभा या ग्रामपंचायत को अधिकार दिया है, कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि वापस दिलाए।

प्रश्न अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि की सुरक्षा के लिए ग्रामसभा को यह अधिकार दिए गए हैं ?

उत्तर अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि की सुरक्षा के लिए ग्रामसभा को यह अधिकार दिए गए हैं कि वह सीमाचिन्हों और सर्वेक्षण चिन्हों की जांच कर सके, जमीन संबंधी दस्तावेज रखे व उन्हें गांववासियों को देखने के लिए उपलब्ध कराए, भू अभिलेख (रिकार्ड) रखे और गांववालों में वितरण कराए आदि। जहां भूमि का नामांतरण वहां ग्रामसभा के आदेशानुसार दिए गए निर्णय को पटवारी अपनी पंजी में दर्ज करेगा। नियम के अनुसार ग्रामसभा और ग्राम पंचायत भूमि वापस दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। यदि वह ऐसा करने में असफल रहती है तो पूरा मसला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीओ) के पास भेज देगी।

प्रश्न विवाद कि स्थिती मे जांच की जिम्मेदारी किसको है।

उत्तर एसडीओ के पास जाने के बाद आपकी भूमि मिल जाएगी। एसडीओ की यह जिम्मेदारी है कि वह पूरी जांच कर तीन माह के अंदर जमीन वापस दिलाएं। यदि इस बीच जिसकी जमीन थी उसकी मृत्यु हो गई तो जमीन उस व्यक्ति के वारिस को दे दी जाएगी।

पंचायत राज अधिनियम 1993

प्रश्न 1 पंचायत राज अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या है ?

उत्तरः 1993 में देश शहरी और गांव क्षेत्रों को स्वशासन की लोकतांत्रिक ईकाइयों के रुप में मान्यता मिली। पंचायत राज अधिनियम 1993 के निम्न महत्वपूर्ण उद्देश्य है :–

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्वरुप की घोषणा करता है।
2. ग्राम सभाओं को अधिक से अधिक मजबूत करना।
3. पंचायत को स्वतंत्र निकाय के रुप में स्पष्ट करना।

प्रश्न 2 ग्राम सभा के अधिकार एवं शक्तियों क्या है ?

उत्तरः छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 7. ग्राम सभा की शक्तियॉ और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन.– उन नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाएं, अधीन रहते हुए ग्राम सभा की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् –

(क) ग्राम के आर्थिक विकास तथा ऐसी योजनाओं का पहचान तथा उनकी प्राथमिकता के लिए सिद्धांतों को क्रियान्वित करना।

(ख) सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए ऐसी योजनाएं जिनमें समस्त वार्षिक योजनाएं सम्मिलित हैं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन आरम्भ करने से पूर्व ग्राम सभा में अनुमोदित करना।

(ग) ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिशों करना।

(घ) ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करना।

(ड) ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड (ख) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिये निधियों के समुचित उपयोग को निश्चित करना तथा प्रमाणित करना ।

(च) गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना तथा चयन करना।

(छ) हितग्राहियों से संबंधित राशियों के समूचित उपयोग तथा विवरण संधारण को सुनिश्चित करना।

(ज) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये लोगों को गतिशील करना।

(झ) ग्राम सभा में विकास योजनाओं को सुविधा अनुसार क्रियान्वयन करना, उन्हें बनाए रखने तथा उनके समान वितरण के लिए वयक्तियों के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित करना। जन साधारण के बीच सामान्य चेतना में अभिवृद्धि करना।

प्रश्न 3 क्या ग्राम सभा की बैठक की तिथि निधारित होती हैं और वर्ष में कितनी बार बुलाई जा सकती हैं ?

उत्तर: एक साल में न्यूनतम चार बार बुलायी जायेगी । यह तयशुदा बैठक नीचे बताये गये तारीखों के अनुसार होगी –

1. **14 अप्रैल से शुरु होने वाले सप्ताह में**
2. **23 जनवरी से शुरु होने वाले सप्ताह में**
3. **20 अगस्त से शुरु होने वाले सप्ताह में**
4. **02 अक्टूबर से शूरु होने वाले सप्ताह में ग्राम पंचायत की बैठक न्युनतम 4 बार बुलाई जा सकती हैं।**

ग्राम सभा की बैठक में निम्न कार्य किये जायेगें :–

1. योजना एवं बजट के अनुमोदन के लिये
2. पिछले साल के वार्षिक लेखा रिपोर्ट
3. पिछले साल के प्रशासन की रिपोर्ट
4. पिछले साल के आडिट रिपोर्ट पर विचार के लिये वित्तीय वर्ष शुरु होने से कम से कम तीन महीने पहले यनि दिसम्बर में आयोजित की जायेगी।

प्रश्न 4 ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार किसको हैं?

उत्तर: ग्राम सभा सदस्यों, जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला कलेक्टर के द्वारा चाहे जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा बुलायी जायेगी । ग्राम सभा अपनी बैठक बतायी गयी चार तारीखों के अलावा भी अपनी जरुरत और सुविधा के अनुसार बुला सकती है ।

क्या आप जानते है ?

1	जिला पंचायत	**16**
2	जनपद पंचायत	**146**
3	ग्राम पंचायत	**9139**
	कुल योग	**9301**

Statistical Data of Government of Chhattisgarh, 2006-07

प्रश्न 5 क्या ग्राम सभा की चार बैठक के बाद भी बैठक बुलाई जा सकती हैं ?

उत्तरः अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की इन चार बैठकों के अलावा और भी बैठक बुलायी जा सकती है, अगर

1. पंचायत किसी आवश्यक विषय पर ग्राम सभा बैठक बुलाना जरुरी समझे तो ।
2. अगर जनपद तथा जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, से ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा करें तो
3. अगर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रुप में कलेक्टर किसी विषय पर विचार तथा निर्णय के लिये ग्राम की बैठक बुलाने की मांग करें तो।

प्रश्न 6 क्या ग्रामवासी ग्रामसभा की बैठक बुला सकते हैं ?

उत्तरः गांव के वयस्क मतदाता अगर चाहे तो ग्राम सभा की बैठक बुला सकते है । इसके लिये –

1. ग्राम सभा के मतदाताओं की कुल संख्या के एक तिहाई से ज्यादा सदस्यों द्वारा लिखित रुप से मांग करना ।
2. यह लिखित आवेदन पंचायत सचिव को दिया जायेगा ।
3. इस मांग के 30 दिन के भीतर पंचायत के सरपंच को ग्राम सभा की बैठक बुलाना जरुरी है ।

प्रश्न 7 ग्रामसभा के बैठक में किन किन महत्वपूर्ण विषयो पर ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार हैं ?

उत्तरः ग्राम सभा की बैठक में निम्न विषय सूची पर ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार हैं

1. ग्राम सभा अपनी हर बैठक में पंचायत के द्वारा किये गये कामकाज की समीक्षा करेगी, पंचायत के आय–व्यय की समीक्षा करेगी ।
2. पंचायत द्वारा नये प्रस्तावित काम और गतिविधियों पर विचार करेगी ।
3. जनपद और जिला पंचायत अगर ग्राम पंचायत को कोई काम सौपते है तो वह भी उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में विचार के लिये रखा जायेगा ।
4. अगर राज्य सरकार कलेक्टर या अन्य किसी समक्ष अधिकारी के माध्यम से पंचायत को कोई कार्य सौपती है तो वह काम भी विचार के लिये पंचायत, सभी ग्राम सभाओं की बैठक में रखेगी ।
5. ग्राम सभा अपनी बैठक में इन सभी विषयों पर विचार करेगी तथा पंचायत को सुझाव और निर्देश देगी । ग्राम सभा के सुझाव और निर्देश मानना पंचायत के लिये जरुरी है।

प्रश्न 8 ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पहले देनी चाहिए ?

उत्तरः ग्राम सभा के हर बैठक की सूचना ग्राम सभा सदस्यों को देना जरुरी है। ग्राम सभा के बैठक की सूचना बैठक से कम से कम सात दिन पहले दी जायेगी ।

सूचना में

1. बैठक का स्थान

2. बैठक की तारीख

3. बैठक में क्या काम काज होगा, चर्चा के क्या विषय होगें।

प्रश्न 9 ग्राम सभा की बैठक का कोरम (कम से कम उपस्थिति) कितनी होनी चाहिए ?

उत्तरः प्रदेश पंचायत अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि गाम सभा की बैठक तभी सिद्व होगा जब ग्राम सभा की उस बैठक में ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम दसवां हिस्सा यानि 1000 में से 100 सदस्यों की उपस्थिति जरुरी है । कोरम पूरा नही होने की दशा में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बैठक स्थगित कर सकता है । इसके बाद सरपंच यह तय करेगा कि बैठक कब और कैसे होगी।

क्या आप जानते है ?

ग्राम पंचायत

	जनप्रतिनिधियो की कुल संख्या				
	सामान्य	अनु .जाति	अनु . जनजाति	कुल संख्या	महिलाएँ
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
पंचगणो की कुल संख्या	71010	16336	60084	147430	49763
सरपंचगणो की कुल संख्या	3488	864	5468	9820	3382
कुल संख्या	74498	17200	65552	157250	53045
प्रतिशत	47.4	10.9	41.7	100.0	33.7

Statistical Data of Government of Chhattisgarh, 2006-07

प्रश्न 10 ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा होनी

उत्तरः प्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के खंड (ख) के अनुसार यदि ग्राम सभा की बैठक का विषय –

1. वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करना है ।

2. वार्षिक बजट

3. विभिन्न योजनाओं के लिये हितग्राहियों का चयन करना है ।

4. लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करना है ।

इन विषयों पर ग्राम सभा की बैठक में तभी फैसला लिया जा सकेगा जब बैठक का कोरम पूर्ण हो । इसका मतलब यह है कि ऊपर बताये गये बिन्दुओं पर स्थगित बैठक में लिया गया फैसला तभी मान्य होगा जब यह स्थगित बैठक कोरम की शर्तो को पूरा करें ।

प्रश्न 11 ग्राम सभा की बैठक के संबंध में सरपंच एवं पंचों की जिम्मेदारी क्या है ?

उत्तरः प्रदेश पंचायत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 (क) और धारा 6 की उपधारा 3 के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा कराने का उत्तरदायित्व उनके निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सरपंच एवं पंच का होगा और यदि सरपंच एवं पंच ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में कोरम पूरा कराने में असमर्थ होते है तो उन्हें नोटिस दिया जा सकेगा और आगे की दो ग्राम सभा में कोरम पूरा करने का अवसर दिया जायेगा । यदि इसके बाद भी ग्राम सभा की बैठकों में कोरम पूरा नही हुआ तो संबंधित पंच / सरपंच के विरुद्व पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न 12 ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में पंजीबद्ध करना चाहिए ?

उत्तरः ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में

1. बैठक की कार्यवाही
2. कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज
3. ग्राम सभा का फेसला तथा
4. ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या

इन सभी बिन्दुओं को ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जायेगा और जो भी ग्राम सभा की अध्यक्षता कर रहे है वे इसकी पुष्टि करेगें । (पुष्टि करने का मतबल है कार्यवाही प्रमाणित करते हुये हस्ताक्षर करना) कार्यवाही रजिस्टर में सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी जायेगी।

प्रश्न 13 ग्राम सभा की बैठक का संचालन किस प्रकार किया जाता हैं ?

उत्तरः प्रदेश अधिनियम (धारा) 6 (4) के अनुसार ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा या करेगी । अगर सरपंच उपस्थित नही है तो उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगी । अगर सरपंच तथा उपसरपंच दोनों मौजूद नही है तो ऐसी

स्थिति में ग्राम सभा की बैठक के लिये आये सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बहुमत द्वारा उस दिन की बैठक का अध्यक्ष चुन लेगें।

क्या आप जानते है ?

जनपद पंचायत	जनप्रतिनिधियो की कुल संख्या				
	सामान्य	अनु .जाति	अनु . जनजाति	कुल संख्या	महिलाएँ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
जनपदसदस्यणो की कुल संख्या	1362	305	1164	2831	954
प्रतिशत	48.1	10.8	41.1	100.0	33.7

Statistical Data of Government of Chhattisgarh, 2006-07

प्रश्न 14 ग्राम अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य क्या है ?

उत्तरः ग्राम सभा अध्यक्ष का यह काम होगा कि

- बैठक में विषयों की चर्चा का क्रम तय करें ।
- चर्चा के दौरान सदस्यों को बोलने का अवसर देना ताकि बैठक शांतिपूर्वक चले और एक साथ कई लोग न बोलें ।
- किसी विषय पर फेसला लेते समय ग्राम सभा सदस्यों में आपस में मतभेद होने पर मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित करना ।
- अगर किसी सदस्य की ग्राम सभा में सदस्यता या बैठक में भाग लेने पर विवाद होने की दशा में अध्यक्ष ही यह तय करेगें कि वह व्यक्ति बैठक में भाग लेगा कि नही (धारा 6 (5)
- कोरम पूरा नही है तो बैठक स्थगित कर पुनः बैठक का दिनांक व समय तय करना व इसकी सूचना सदस्यों को देना ।

ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सरपंच एवं पंच का होगा ।

प्रश्न 15 ग्राम सभा के संम्बध में ग्राम पंचायत सचिव की क्या भूमिका है ?

उत्तरः प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव या पंचायत कर्मी की यह जिम्मेदारी है कि वह

1 ग्राम सभा के बैठक के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करें ।

2 ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करें ।
पंचायत के सभी रिकार्ड व दस्तावेज सभा की बैठक में लेकर आये ।

क्या आप जानते है ?

जिला पंचायत	जनप्रतिनिधियो की कुल संख्या				
	सामान्य	अनु .जाति	अनु .जनजाति	कुल संख्या	महिलाएँ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
जिलापंचायत सदस्यणो की कुल संख्या	153	35	117	305	103
प्रतिशत	50.2	11.5	38.3	100.0	33.8

Statistical Data of Government of Chhattisgarh, 2006-07

प्रश्न 16 ग्राम सभा में फैसले किस प्रकार लिये जाते हैं ?

उत्तरः ग्राम सभा में जो भी विषय विचार के लिये रखे जायेगें ग्राम सभा उन विषयों पर विचार करेगी और उसके बाद उस पर फेसला लिया जायेगा । अगर किसी विषय पर फेसला लेते समय सदस्यों में मतभेद है तो यह फैसला

- साधारण बहुमत से लिया जायेगा
- बहुमत उपस्थिति सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर व्यक्त किया जायेगा ।
- पंचायत सचिव, अध्यक्ष उस विषय का परिणाम घोषित करेगें ।

यह घोषित परिणाम ही ग्राम सभा का फैसला माना जायेगा ।

प्रश्न 17 ग्राम सभा सदस्य के सामान्यतः क्या अधिकार हैं ?

उत्तरः ग्राम सभा की बैठक में चर्चा व निर्णय लेने के अलावा भी ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह पंचायत में चल रहे प्रत्येक कार्य और योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करें । यह जानकारी सदस्यों को मिले इसके लिये –

1 पंचायत के कार्यालय खुलने व बंद होने का निश्चित समय होना चाहिये तथा प्रत्येक ग्राम सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिये ।

2 पंचायत कार्यालय से कोई भी ग्राम सभा सदस्य पंचायत संबंधी कोई भी जानकारी सचिव से मांग सकता है और सचिव उन्हें वह जानकारी सात दिन के भीतर उपलब्ध करवायेगें।

प्रश्न 18 किसी विशेष स्थिति में दो ग्राम सभाओ मे, निर्णय के टकराव की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तरः दो ग्राम सभाओं के निर्णय में टकराव की स्थिति में अब चूंकि एक पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभायें गठित है अतः अगर किसी विषय पर पंचायत की दो ग्राम सभाओं में आपस में मतभेद होता है तो इस मतभेद के निपटारे के लिये पूरे पंचायत की एक बड़ी ग्राम सभा बुलायी जायेगी और वहॉ पर विवाद वाले विषय पर जो निर्णय होगा उसे ही अंतिम माना जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाएं

1. **<u>लोक अदालत</u>** :–

न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण तथा न्यायालय में प्रकरण पेष होने के पूर्व इस योजना के तहत् पक्षकारों के आपसी राजीनामें के आधार पर दीवानी, मोटर दुर्घटना, फौजदारी (समझौता योग्य प्रकरण) तथा अन्य प्रकरण निराकृत किये जाते है। इस हेतु आवेदन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. **<u>विधिक सहायता / सलाह योजना</u>** :–

इस योजना के अंतर्गत न्यायालय में विचारधीन या प्रस्तुत करने योग्य प्रकरण में पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रकरणों में होने वाले व्यय एवं अधिवक्ता की नियुक्ति के रुप में उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय तक दी जाती है। कानूनी विषयों पर निःषुल्क सलाह उपलब्ध करायी जाती है।

3. **<u>विधिक साक्षरता शिविर योजना</u>** :–

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी एवं जेल परिसर में षिविर आयोजित कर लोगों को जागरुक करने के उद्‌देष्य से विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी, जन उपयोगी कानूनों, महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर तबको के लिये बनाये गये कानूनों, संरक्षण प्रकोष्ठों तथा शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स एवं पुस्तक आदि का प्रकाषन कराया जाकर सुदूर क्षेत्रों में आम जनता तक पहुॅचाया जाता है।

4. **<u>पेंशन लोक अदालत</u>** :–

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ तीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों – क्रमषः रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में पेंषन लोक अदालत की पीठ कार्यरत है, जो प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार को आयोजित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंषन, गेच्युटी,

सामूहिक बीमा आदि की राषि प्राप्त करने में विलम्ब या कोई अन्य समस्या होने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये पूर्व नियोक्ता को नोटिस देकर वांछित कार्यवाही की जाती है।

5. **<u>जन उपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत</u>** :–

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कुल 16 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में से तीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जन उपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत का गठन क्रमषः बिलासपुर, रायपुर एवं जगदलपुर में किया गया है। जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल 9 जिले स्थापित किये गये है, तथा जगदलपुर जिले के लिये उत्तर बस्तर कांकेर एवं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। जन उपयोगी स्थायी लोक अदालत में ऐसी सेवाओं से संबंधित विवाद को शामिल किया गया है, जो कोई यात्रियों को ले जाने या वायु, सड़क एवं जल के द्वारा माल ले जाने के लिये है, इसके अंतर्गत शामिल है :–

(1) परिवहन की सेवा, या

(2) डाक–तार व दूरभाष की सेवा, अथवा

(3) किसी संस्थापन (अधिष्ठान) के द्वारा जनता को शक्ति, प्रकाष अथवा जल की आपूर्ति, या

(4) सार्वजनिक सफाई अथवा स्वच्छता की प्रणाली, अथवा

(5) औषधालय या चिकित्सालय में सेवा

(6) बीमा सेवा

उपरोक्त वर्णित सेवाओं से संबंधित विवाद का निपटारा शीघ्र करने के लिये जन उपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जिनके लिये मात्र एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

6. **<u>पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना</u>** :–

परिवार के मध्य उठे वैवाहिक, बच्चों की अभिरक्षा, भरण–पोषण तथा पारिवारिक सम्पत्ति संबंधी विवादों को इस योजना के माध्यम से आपसी सुलह के माध्यम से निराकृत करने

का प्रयास किया जाता है। पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र में प्रकरणों के निराकरण के लिये जिला विधिक सहायता अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

7. **मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिमाण्ड अवधि में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना**

अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बन्दियों को इस योजनान्तर्गत मामले की पैरवी हेतु विधिक सहायता अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत नियुक्त अधिवक्ता का कर्तव्य है िकवह अभिरक्षाधीन बंदी के प्रतिप्रेषण (रिमाण्ड) का विरोध करें और उसके जमानत कराये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत करें, प्रयास करें तथा उसका यह भी कर्तव्य है कि प्रतिप्रेषण के समय न्यायालय में उपस्थित रहे।

8. **जिला विधिक परामर्श केन्द्र** :-

प्रत्येक मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें सामान्य जन को उनकी कानूनी समस्या पर परामर्ष दिया जाता है। तथा विधिक सेवा कैसे व कहॉ प्राप्त की जा सकती है, इसकी जानकारी प्रदान की जाती है। इस संबंध में संबंधित जिला विधिक सहायता अधिकारी से संपर्क कर परामर्ष लिया जा सकता है।

9. **कारागार परिसर में विधिक सहायता योजना** :-

इस योजना के तहत प्रदेष के सभी केन्द्रीय अथवा जिला कारागार परिसर में बन्दियों को उनके फौजदारी, दीवानी और राजस्व प्रकरणों में विधिक परामर्ष तथा सहायता प्रदान की जाती है।

10. **श्रमिक सेल का गठन** :-

श्रमिकों के विरुद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर श्रमिक सेल का गठन किया गया है। श्रमिकों के विरुद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु एवं श्रमिकों को प्राप्त संरक्षण संबंधी किसी भी सहायता के लिये श्रमिक सेल से संपर्क किया जा सकता है अथवा आवेदन दिया जा सकता है।

11. **विधिक सेवा ऑनलाईन** :-

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं समस्त 11 जिला मुख्यालयों में दूरभाष स्थापित कर आम जनता को विधिक सहायता कैसे एवं किस रुप में प्राप्त की जा सकती है तथा विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समितियों द्वारा संचालित योजनाओं लोक अदालतों, विधिक साक्षरता षिविर और विधिक साक्षरता अभियान के बारें में दूरभाष पर ही किसी भी स्थान से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में विधिक सहायता अधिकारियों के विधिक सेवा ऑनलाईन के दूरभाष नम्बर निम्नानुसार है :–

विधिक सेवा समिति का नाम	फोन नम्बर	
	अध्यक्ष / सचिव	विधिक सहायता अधिकारी (विधिक सेवा दूरभाष पर)
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	(07752)410530	(07752) 410210
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर	94255–74123	(07752) 238168
अंबिकापुर	(07774) 220695	(07774) 236203
जशपुर नगर	(07763) 220642	(07763) 220962
रायगढ़	(07762) 222077	(07762) 220189
कोरबा	(07759) 226318	(07759) 222709
बिलासपुर	(07752) 223271	(07752) 251790
रायपुर	(0771) 2426742	(0771) 4946009
दुर्ग	(0788) 2210307	(0788) 2330618
राजनांदगांव	(07744) 226189	(07744) 227441
जगदलपुर	(07782) 222589	(07782) 231250
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	(07856) 252545	(07856) 252534
कबीरधाम	(07741) 233480	(07741) 232044
कोरिया (बैकुण्ठपुर)	(07836) 232854	–
जांजगीर–चांपा	(07817) 224088	94241–72072
महासमुंद	(07723) 224787	98271–88760
धमतरी	(07722) 232022	98271–88760
उत्तर बस्तर कांकेर	(07868) 223679	–

12. <u>महिला एवं बच्चों के संरक्षण हेतु प्रकोष्ठ</u> :–

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ 11 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो जिला न्यायाधीष के निर्देष एवं पर्यवेक्षण में कार्यरत है, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित उत्पन्न विवादों का शीघ्र निराकरण और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये गठित है। समिति में जिला न्यायाधीष, समाज कल्याण अधिकारी, षिक्षाविद् और लोक अभियोजक इस प्रकोष्ठ के सम्माननीय सदस्य है। नवगठित 5 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में महिला एवं बच्चों के संरक्षण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया जाना शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

विधिक सेवा योजनाएँ

विधिक सेवाएं क्या है ?

- समस्त न्यायालयों / प्राधिकरणों / अधिकरणों / आयोगों के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवायें प्रदान करायी जाती है।
- गरीब तथा आम व्यक्तियों के लिये न्यायालय शुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवष्यक वाद व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाते है।
- विधिक अधिकारों एवं सेवाओं की जागरुकता के लिये विधिक साक्षरता षिविरों का आयोजन किया जाता है।
- परामर्ष एवं सुलह समझौता केन्द्रों में संधिकर्ता दल द्वारा पारिवारिक विवादों को सलाह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने के सतत् प्रयास किये जाते है।
- मोटर दुर्धटना प्रतिकर वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा दिलाये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जाते है।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र कौन है ?

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य ।
- अनैतिक अत्याचार के षिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करायी जाती है।
- महिलाएं एवं बच्चें।
- अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाष, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औधौगिक विनाष की दषाओं के अधीन सताये हुये व्यक्ति व शहीद सैनिकों के आश्रित।
- औधौगिक श्रमिक।
- कारागृह, किषोर मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्चा गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय पचास हजार से कम है।

लोक अदालतें क्या है ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है।
- सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते है।

- लोक अदालतों के फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है जिसकों कोर्ट की डिग्री की तरह सभी पक्षों पर अनिवार्य रुप से बाध्य होते हुये लागू कराया जाता है।
- लोक अदालत के फैसले के विरुद्व किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकती है।
- लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटा दी जाती हैं
- प्रदेष के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की सस्थापना की जा चुकी है और बादकारियॉ को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिये उस अदालत में प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त है।
- अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नही आये है उन्हें भी प्री–लिटीगेषन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये बिना ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना पत्र देकर लोक अदालत में फैसला कराया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिये लिखे या मिलें।

1. **विधिक सेवा के लिये आवेदन पत्र जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सहायता अधिकारी को।**
2. **तहसील में स्थित व्यवहार न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश को।**
3. **उच्च न्यायालय के सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बिलासपुर को।**
4. **सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर से 410530, 410210, 417625 में संपर्क करें।**

भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 – क

51 क. मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करें और आदर्शो संस्थाओं, राष्ट्रघ्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें ।

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृद्य में संजोये रखे और इनका पालन करें।

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य बनाये रखे।

(घ) देश की रखा करें और आहवान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(ड.) भारत के सभी लोगों की समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद – भाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्व है।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा को समझे और उसका परिरक्षण करें।

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है। रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दयाभाव रखे।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

(झ) सार्वजनिक संम्पति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।

(ट) जो माता पिता या संरक्षक, जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चें को, जिसकी आयु छः से चौदह वर्ष के बीच है शिक्षा देने के अवसर प्रदान करेगा।